भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110124

संख्या 102/कल्याण-आईटी/26/2016-17

दिनांक 07.07.2017

सेवा में,

सभी विक्रेता (ओवरलीफ)

विषय :- रावी टावर, आवासीय काम्प्लैक्स, वैशाली, गाजियाबाद, यूपी में संस्थापित 62.5 केवीए किर्लोस्कर डीजल जेनरेटर सेट के व्यापक वार्षिक अनुरक्षण के लिए मोहरबंद उद्धरण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

रावी टावर, आवासीय काम्प्लैक्स, वैशाली, सेक्टर-4, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में संस्थापित 62.5 केवीए किर्लोस्कर डीजल जेनरेटर सेट के व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (सीओएएमसी) के लिए योग्य विक्रेताओं से सीमित निविदा पूछताछ के माध्यम से मोहरबंद उद्धरण आमंत्रित किए जाते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110124के निदेशक (कार्मिक) को सम्बोधित ''रावी टावर में संस्थापित 62.5 केवीए किर्लोस्कर डीजल जेनरेटर के लिए व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए उद्धरण'' लिखने के साथ मोहरबंद कवर श्री परवेज हसन, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (कल्याण-आईटी) को अपराहन 3.00 बजे तक 10.08.2017 को या इससे पूर्वव्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय के तीसरे तल पर कमरा संख्या 305 में प्रस्तुत किया जाएगा तथा बोली उसी दिन 4.00 बजे अपराहन खोली जाएगी। निविदा की आवश्यक शर्ते एवं निबंधन अनुबंध (संलग्न) में सूचीबद्ध हैं। इस निविदा पूछताछ की एक प्रति इस कार्यालय की वेबसाइट www.cag.gov.in पर उपलब्ध है।

भवदीय,

(परवेज हसन)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (कल्याण-आईटी)

अनुबंध

(निबंधन एवं शर्तें)

1 यह कार्यालय निम्नतम निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है तथा बिना कोई कारण बताए एक या सभी प्राप्त निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है। किसी भी संदर्भ में अपर्याप्त या अपूर्ण अथवा निर्दिष्ट शर्तो को पूरा न करने वाली निविदाएं अस्वीकृति कीदायी हैं। निविदाकार/ विक्रेता द्वारा किसी भी रूप में प्रचार करने का परिणाम उनकी निविदाओं की अस्वीकृति होगा।

2 फर्म/कम्पनी को टिन/पैन संख्या आदि की प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

3 ठेका आरम्भ की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। ठेका उस तिथि को आरंभ होगा जिस पर ठेके को स्वीकार करते समय विक्रेता द्वारा स्वीकृति दी गई है। तिमाही आधार पर संतोषजनक सेवादेने पर भुगातन किया जाएगा। यदि किसी प्रशासनिक कारण से भुगतान विलम्बित होता है तो उस पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

4 ''पीएओ, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय'' के पक्ष में आहरित क्रास्ड डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ` 5,000 (मात्र पांच हजार रूपए) की 'बयाना जमा राशि (ईएमडी) प्रस्तुत की जाएगी।

5 इसके बाद ठेकेदार के रूप में संदर्भित सफल निविदाकार को कुल ठेका मूल्य के10 प्रतिशत के बराबर राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी है जिसे वारंटी/समर्थित अवधि की समाप्ति पर जारी किया जाएगा।

6 ठेका पूर्ण रूप से व्यापक होगा जिसमें पूर्ण डीजी सेट यूनिट, उसके आन्तरिक पुर्जे, अल्टरनेटर, ठेकेदार, एएमएफ पैनल, ऑटो स्विच ऑन/ऑफ यूनिट, मैन बाई-पास यूनिट तथा केबल सहित अन्य उपभोज्य /गैर उपभोज्य फिक्सचर आदि सम्मिलित है।

7 सम्पूर्ण ठेका अवधि के दौरान कम से कम 4 आवधिक अनुरक्षण सेवाएं अथवा आवश्यकता के आधार पर अधिक की जा सकती है। अपेक्षित निवारक अनुरक्षण सेवा के लिए केवल लूब्रिकेंट तथा सर्विस फिल्टर को छोड़कर सभी उपभोज्य /गैर-उपभोज्य सामग्री का विक्रेता द्वारा उसकी अपनी लागत पर प्रबंध किया जाएगा।

8 डीजी सेट अथवा अन्य फिक्स्चर के कार्यचालन से संबंधित सभी शिकायतें विशेष रूप से किसी अचानक ब्रैक डाउन के मामले में शिकायत का अवकाश के दौरान या लेट ऑवर के पश्चात भी तत्काल निपटान किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की विफलता में इस कार्यालय के समक्ष प्राधिकारी के पूर्ण विवेक पर शास्ति लगेगी तथा विक्रेता पर बाध्यकारी होगी।

9 ठेके की अवधि के दौरन आवधिक सर्विस में उपयोग किए जाने वाली अथवा बदली जाने वाली सभी उपभोज्य /गैर-उपभोज्य सामग्री /पुर्जे केवल मानक निर्माण के होंगे।सेवा के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले प्रत्येक उपभोज्य /गैर उपभोज्य वस्तुओं का नाम, निर्माण और मात्रा एवं उनकी लागत का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत सेवा रिपोर्ट प्रत्येक बीजक सहित प्रस्तुत की जाएगी। ठेका के दौरान यदि किन्ही कारणों से किसी मुख्य पुर्जे को बदला जाता है तो यह समान, निर्माण एवं मॉडल का होगा और नए पुर्जे से बदलने के बाद खराब पुर्जे को अभिलेख उद्देश्य के लिए इस कार्यालय में सौंपा जाएगा।

10 यदि किसी पुर्जे (जों)/घटक (कों) की किसी कारण से मरम्मत चल रही है तो विक्रेता मूल पूर्जे के परिशोधन एवं पुन: प्रतिष्ठापन तक अपनी स्वयं की लागत पर उचित स्थानापन्न पुर्जे/घटक की व्यवस्था करेगा। यदि किसी कारण से विक्रेता शिकायतों/समस्या का समाधान नहीं कर सका तो उस कार्य को किसी अन्य फर्म से या खुले बाजार से करा लिया जाएगा तथा उस पर हुए व्यय की वसूली विक्रेता से की जाएगी। उस मामले में, अन्य फर्म/विक्रेता द्वारा समस्या/त्रुटि/क्षति के परिशोधन के बाद वस्तु (ओं) स्वत: सीओएएमसी के अंतर्गत आ जाएगी। इसके कारण ठेका समाप्त भी किया जा सकता है।

11 भुगतान प्रत्येक तिमाही के अंत में संतोषजनक सेवाएं देने के बाद आनुपातिक रूप से किया जाएगा।

12 यदि ठेका अवधि के दौरान कोई त्रुटि (यॉ) देखी जाती है (हैं) या उपयोक्ताओं ने कोई शिकायत की है तो किसी अन्य कारण से विलंबित परिशोधन के कारण कार्य में किसी गड़बड़ के लिए मुआवजे के उदग्रहण का निर्णय इस कार्यालय के निदेशक (कार्मिक) द्वारा लिया जाएगा और इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शास्ति लगाई जाएगी।

13 ठेकेदार संविदा की अवधि के दौरान हर समय कामगारों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए अथवा जनता एवं अन्य बीमा प्रावधानों की सुरक्षा के लिए एनसीटी अथवा केंद्रीय सरकार अथवा इस कार्यालय एवं अन्य सभी स्थानीय प्राधिकारणों के विनियमों तथा उप-विधियों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, भविष्य निधि विनियम इत्यादि के प्रावधानों सहित लागू राज्य विधायिका तथा संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न श्रम अधिनियमों और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में सम्मिलित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा और उनका पालन करेगा।

14 अनुरक्षण सेवा प्रकृति में व्यापक होगी जिसमें मेक/ब्रांड पर ध्यान न देते हुए वस्तु (ओं) के निवारक, सुधारात्मक रख-रखाव शामिल होंगे। डीजी सेट तथा इसके सहायक उपस्करों/पैनलों

तथा अन्य घटकों की प्रत्येक माह एक बार अच्छी तरह सफाई/सर्विस तथा जांच की जाएगी। एक अनुपालन रिपोर्ट (मद, स्थान, सफाई/सर्विस आदि की तिथि एवं समय दर्शाती सूची) भी इस विंग में अभिलेख उद्देश्य हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

15 विक्रेता उस स्थिति को छोड़कर जिसका संविदा में प्रावधान हो इस कार्यालय के निदेशक (कार्मिक) की पूर्व लिखित सहमति के बिना कार्य को समग्र या आंशिक भाग को सबलैट नहीं करेगा। यदि ऐसी सहमति दी गई है तो यह विक्रेता को संविदा के तहत् दायित्व की किसी देयता से मुक्त नहीं करेगा और वह किसी एजेंट उसके एजेंटों के श्रमिकों के कार्यों, चूकों तथा लापरवाहियों को विक्रेता के कार्य, चूक या लापरवाही माना जाएगा।

16 ठेकेदार कार्य/सेवा क्रियान्वयन के समय अपने कामगारों अथवा परिसर मे अन्य व्यक्तियों को तथा संपदा के किसी नुकसान के लिए किसी देयता के प्रति इस कार्यालय को क्षतिपूर्ति करेगा।

17 विक्रेता परिसर में सभी अन्य फिक्सचर्स तथा उपभोज्य/गैर-उपभोज्य घटकों सहित सम्पूर्ण डीजी सेट सौंप देगा जो संविदा की समाप्ति पर चालू हालत में सीओएएमसी के अंतर्गत है।

18 सफल फर्म/कंपनी की संविदा को संविदा मूल्य में किसी वृद्धि के बिना तीन वर्षों तक जारी रखा जाएगा यदि फर्म/कंपनी उपरोक्त सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन करती है और संतोषजनक सेवाएं देती है।

19 इस संविदा में उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में संविदा को किसी भी पूर्व सूचना के बिना इस कार्यालय द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा और इसके अलावा विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के विभागों एवं मंत्रालयों सहित 2 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिबंधित सूची में शामिल होने पर ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

20 यदि प्रचालन अवधि के दौरान कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह दिल्ली एवं एनसीआर के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आएगा।

21 विक्रेता, उसके उप-ठेकेदार, कर्मचारी तथा एजेंट सीओएएमसी के निष्पादन के दौरान या उसके संबंध में उनकी जानकारी में आने वाले तथ्यों को गोपनीय रखेंगे।

(परवेज हसन)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (कल्याण-आईटी)